(92)

कार्यालय :-- प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 1433 दिनांकः– 06/12/19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– चतरा जिला अन्तर्गत सिमरिया प्रखण्ड के मौजा एदला में 132/33 के0भी0 पावरग्रीड सबस्टेशन निर्माण हेतु 3.44 हे0 वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :– वन विभागीय पत्रांक 2663 दिनांक 16.07.2019

महाशय,

प्रांसगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना FP/JH/Substaion/39788/2019 पावर ग्रिड सब–स्टेशन 132/33 K.V निर्माण हेतु कुल 3.44 हे0 वनभूमि अपयोजन के लिए कुल 15 शर्तो पर स्टेज–1 की स्वीकृति प्रदान की गई है। शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 3488 दिनांक 25.11.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ हैं। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा प्रदत स्टेज–1 में लगाई गई शर्तो का अनुपालन बिन्दुवार निम्नवत् प्रतिवेदित है :–
है :–

शर्त सं0	राज्य सरकार का शर्त	अनुपालन प्रतिवेदन
1	2	3
(क)	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–1)**
(ख)	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2018 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 3.44 हे0 वनभूमि के एन0पी0वी0 की राशि वसूलनीय होगी।	इस शर्त के आलोक में अपयोजित होने वाले वनभूमि 3.44 हे0 के विरूद्ध मांगी गई एन0पी0वी0 की राशि 21,53,440.00 रूपया प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा झारखण्ड कैम्पा खाता संख्या–150727339788303, (IFSC Code –CORP0000371) में दिनांक 30.09. 2019 को ऑन–लाईन चालान जेनरेट कर जमा कर दिया गया है पावति रसीद संलग्न है। **(अनुलग्नक–1A)**
(ग)	यदि एन0पी0वी0 के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	इस शर्त के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–2)**
(घ)	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को कैम्पा खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा झारखण्ड कैम्पा खाता संख्या–150727339788303, (IFSC Code --CORP0000371) में दिनांक 30.09.2019 को ऑन–लाईन चालान जेनरेट कर जमा कर दिया गया है। जमा राशि का विवरण इस प्रकार है– (i) NPV Rs. 21,53,440.00 (ii) <u>CA Rs. 33,62,167.00</u> **Total Rs. 55,15,607.00** (पचपन लाख पन्द्रह हजार छः सौ सात) मात्र। झारखण्ड कैम्पा खाता संख्या–150727339788303,

H:\Vikash\Kaimuddin Sir\सिमरिया प्रखण्ड मौजा एदला 13233 के0भी0 पावरग्रीड 3.44 हे0.docx

o/c

		(IFSC Code –CORP0000371) में दिनांक 30. 09.2019 को ऑन–लाईन चालान जेनरेट कर जमा कर दिया गया है पावति रसीद संलग्न है। **(अनुलग्नक–1A)**
(ङ)	प्रस्तावित वनभूमि में ग्रिड सबस्टेशन निर्माण के क्रम में कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 11 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जाएगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों का पातन वन प्रमंडल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–3)**
(च)	प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम में पातित किए जाने वाले 11 वृक्षों के दस गुणा अर्थात् कुल–110 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख–रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी के पत्रांक 2979 दिनांक 05.09.2019 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 610 बांस गैबियन वृक्षारोपण (10 वर्षीय रख–रखाव सहित) हेतु वर्तमान मजदूरी दर पर तैयारी प्राक्कलन एवं प्रति वर्ष मानव दिवस 15 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए कुल 33,62,167.00 रू0 (तैतीस लाख बासठ हजार एक सौ सरसठ रूपये) मात्र झारखण्ड कैम्पा खाता संख्या–150727339788303, (IFSC Code – CORP0000371) में दिनांक 30.09.2019 को ऑन–लाईन चालान जेनरेट कर जमा कर दिया गया है पावति रसीद संलग्न है। **(अनुलग्नक–1A)**
(छ)	प्रस्तावित स्थल के समीप कम से कम 500 indigenous species की बांस गैबियन वृक्षारोपण तथा उसके रख रखाव की राशि परियोजना खर्च पर कराना अपेक्षित है।	
(ज)	ग्रिड से जो तार बाहर खीचे जाये, उनमें से सबसे निचले तार की जमीन से उचाई लगभग 20 फीट रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–4)**
(झ)	ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरान्त, जहां संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाए।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–5)**
(ञ)	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–6)**
(ट)	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–7)**
(ठ)	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जांच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–8)**

(ड)	परियोजना में कार्यरत मजदूरों / ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–9)**
(ढ़)	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग परियोजना से अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–10)**
(ण)	उपर्युक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1,9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश के कंडिका 1,9 के अनुरूप कार्रवाई करते हुए उचित माध्यम से सूचना राज्य सरकार को दी जाएगी।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज–I में लगाई गई सभी शर्तो का अनुपालन किया गया है अथवा वचनबद्धता दी गई है। अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु अंतिम स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अनु0:–यथोक्त।
अनुपालन तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन
ह0 / –
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची।

ज्ञापांक :– दिनांक :

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची।

ज्ञापांक 1433 **दिनांक** 06/12/19

प्रतिलिपि :– M/S JUSNL, कार्यपालक अभियंता, ट्रांसमिशन प्रमंडल JUSNL, 1st Floor Shringari Complex, Canary Hill Road, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

6.12.2019
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

6.12.19

(६९)

झारखण्ड सरकार

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,

फोन नं0. 06546-223962, Email- rccf_hzb@yahoo.co.in, rccf-hazaribagh@.gov.in

पत्रांक : 3488 दिनांक : 29.11.2019

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

Balse 03/12/19

विषय :– चतरा जिला अन्तर्गत सिमरिया प्रखण्ड के मौजा–एदला में 132/33 के0वी0 पावरग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 3.44 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव (प्रस्ताव सं0FP/JH/Substation/39788/201) के संबंध में।

4959 04/12/19

प्रसंग :– आपका ज्ञापांक 845 दिनांक 22.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है चतरा जिला अन्तर्गत सिमरिया प्रखण्ड के मौजा–एदला में 132/33 के0वी0 पावरग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 3.44 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव में झारखण्ड सरकार के वन विभागीय पत्रांक 2663 दिनांक 16.07.2019 द्वारा 15 शर्तो के साथ सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। इसका अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा ने अपने पत्रांक 1954 दिनांक 20.11.2019 द्वारा इस कार्यालय को समर्पित किया है। शर्तवार अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है :–

शर्त संख्या	राज्य सरकार का शर्त	अनुपालन प्रतिवेदन
1	2	3
(क)	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथवत् रहेगी	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–1)**
(ख)	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2018 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 3.44 हे0 वनभूमि के एन0पी0वी0 की राशि वसूलनीय होगी।	इस शर्त के आलोक में अपयोजित होने वाले वनभूमि 3.44 हे0 के विरूद्ध मांगी गई एन0पी0वी0 की राशि 21,53,440.00 रूपया प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा झारखण्ड कैम्पा खाता संख्या–150727339788303, (IFSC Code – CORP0000371) में दिनांक 30.09.2019 को ऑन–लाईन चालान जेनरेट कर जमा कर दिया गया है पावति रसीद संलग्न है। **(अनुलग्नक–1A)**
(ग)	यदि एन0पी0वी0 के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	इस शर्त के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–2)**

3.12.2019

कौमुदीन मियाँ 04.12.19

Sanjeev

शर्त संख्या	राज्य सरकार का शर्त	अनुपालन प्रतिवेदन
1	**2**	**3**
(घ)	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को कैम्पा खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा झारखण्ड कैम्पा खाता संख्या–150727339788303, (IFSC Code – CORP0000371) में दिनांक 30.09.2019 को ऑन–लाईन चालान जेनरेट कर जमा कर दिया गया है। जमा राशि का विवरण इस प्रकार है– (i) NPV Rs. 21,53,440.00 (ii) CA Rs. 33,62,167.00 **Total Rs. 55,15,607.00** (पचपन लाख पन्द्रह हजार छः सौ सात) मात्र। पावती रसीद इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। **(अनुलग्नक–1A)**
(ङ)	प्रस्तावित वनभूमि में ग्रिड सबस्टेशन निर्माण के कम में कम से कम वृक्षों का पातन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 11 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जाएगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों का पातन वन प्रमंडल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–3)**
(च)	प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम में पातित किए जाने वाले 11 वृक्षों के दस गुणा अर्थात् कुल–110 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख–रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी के पत्रांक 2979 दिनांक 05.09.2019 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 610 बांस गैबियन वृक्षारोपण (10 वर्षीय रख–रखाव सहित) हेतु वर्तमान मजदूरी दर पर तैयारी प्राक्कलन एवं प्रति वर्ष मानव दिवस 15 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए कुल 33,62,167.00 रू0 (तैतीस लाख बासठ हजार एक सौ सरसठ रूपये) मात्र कैम्पा खाता में जमा करा दी गई है एवं पावती रसीद इस अनुपालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। **(अनुलग्नक–1A)**
(छ)	प्रस्तावित स्थल के समीप कम से कम 500 indigenous species की बांस गैबियन वृक्षारोपण तथा उसके रख रखाव की राशि परियोजना खर्च पर कराना अपेक्षित है।	
(ज)	ग्रिड से जो तार बाहर खीचे जाये, उनमें से सबसे निचले तार की जमीन से उचाई लगभग 20 फीट रखना प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–4)**
(झ)	ग्रिड सब स्टेशन निर्माण के उपरान्त, जहां संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाए।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–5)**
(ञ)	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–6)**

Sanjiv

शर्त संख्या	राज्य सरकार का शर्त	अनुपालन प्रतिवेदन
1	2	3
(ट)	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–7)**
(ठ)	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जांच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–8)**
(ड)	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–9)**
(ढ़)	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग परियोजना से अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) संलग्न है। **(अनुलग्नक–10)**
(ण)	उपर्युक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1,9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपरोक्त सभी शर्तो का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश के कंडिका 1,9 के अनुरूप कार्रवाई करते हुए उचित माध्यम से सूचना राज्य सरकार को दी जाएगी।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा से प्राप्त उक्त अनुपालन प्रतिवेदन की पांच प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में अपने स्तर से आगे की आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी,

अनु0–यथोक्त।

Sanjiv 29/11/19

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

29/11/19

Simaria (Edla)Sub Station dt-25-11-19

झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा (85)

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401

Telefax – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – 1954 दिनांक 20/11/2019

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय– चतरा जिला अन्तर्गत सिमरिया प्रखण्ड के मौजा– एदला में 132/33 के0वी0 पावरग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु 3.44 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (प्रस्ताव सं0–FP/JH/SubStation/39788/2019) के संबंध में।

प्रसंग– झारखण्ड सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र संख्या– वनभूमि–33/2019–2663 व0प0 राँची, दिनांक 16.07.2017

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक परियोजना पर प्रथम चरण की स्वीकृति में लगाये गये 15 शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 3720 दिनांक 16.11.2019 द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया है, जो निम्नवत है:–

1. शर्त संख्या "क" के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचनबद्धता प्रमाण–पत्र अनुपालन के साथ संलग्न है। **(अनुलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या "ख" के अनुसार अपयोजित होने वाले वनभूमि 3.44 हे0 के विरूद्ध वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा माँग की गई राशि के अनुरूप प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा E-payment के माध्यम से NEFT/RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA दिनांक 30.09.2019 को कुल 55,15,607.00 रूपया कैम्पा खाता में जमा किया गया है जिसमें एन.पी.भी. की राशि 21,53,440.00 रू0 सन्निहित है। साक्ष्य के रूप में चलान की प्रति संलग्न है। **(अनुलग्नक–IA)**
3. शर्त संख्या "ग" के आलोक में एन.पी.भी. के दर में कोई संशोधन होता है तो एन.पी.भी. के अवशेष राशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचनबद्धता प्रमाण–पत्र अनुपालन के साथ संलग्न है। **(अनुलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या "घ" के अनुसार एन0 पी0 भी0 एवं सी0 ए0 हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा माँगी गई कुल राशि 55,15,607.00 रूपये प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा E-payment के माध्यम से NEFT/RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA दिनांक 30.09.2019 को कैम्पा खाता में जमा किया गया है। साक्ष्य के रूप में चलान की प्रति संलग्न है। **(अनुलग्नक–IA)**
5. शर्त संख्या "ड़" के आलोक में ग्रिड सबस्टेशन निर्माण के क्रम में किसी भी परिस्थिति में 11 वृक्षों से अधिक का पातन नही किया जायेगा से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचनबद्धता प्रमाण–पत्र अनुपालन के साथ संलग्न है। **(अनुलग्नक–3)**
6. शर्त संख्या "च एवं छ" के आलोक में कुल 610 वृक्षों लगाने के लिए वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा कुल 33,62,167.00 रूपया की मॉग की

कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग
प्राप्तांक 6572
दिनांक 21/11/19

गई थी, जिसके आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा E-payment के माध्यम से NEFT/RTGS Challan for Ad-hoc CAMPA दिनांक 30.09.2019 को कुल 55,15,607.00 रूपया कैम्पा खाता में जमा किया गया है जिसमें उक्त राशि सन्निहित है। साक्ष्य के रूप में चलान की प्रति संलग्न है। **(अनुलग्नक–IA)**

7. शर्त संख्या ''ज से ढ़'' के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र दी गई है जो अनुपालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। **(अनुलग्नक–4 से 10 तक)**
8. शर्त संख्या **'ण'** के आलोक में उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नही किए जाने की स्थिति में वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रॉची के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगें। साथ ही वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई करेगें।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की छः प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

झारखण्ड सरकार
कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (o) - 06541- 222303
E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक 2979 दिनांक 05/09/19

सेवा में

श्री प्रवीण राम,
वरिष्ठ प्रबंधक,
संचरण प्रमंडल, JSUNL,
हजारीबाग।

विषयः– मौजा एदला में 132/33 KV Power Grid Sub-Station निर्माण हेतु 3.44 हे0 वनभूमि आपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक 2624 दिनांक 02.08.2019 एवं पत्रांक 2192 दिनांक 26.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि उक्त ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग का पत्र संख्या वनभूमि–33/2019–2663 व0प0 राँची दिनांक 16.07.2019 द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति 15 शर्त्तो के साथ प्रदान की गई है। बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन की मांग प्रसंगाधीन पत्र द्वारा की गई थी जो अबतक अप्राप्त है। उक्त परियोजना के विरूद्ध कैम्पा खाता में राशि जमा करने हेतु उच्चाधिकारी से प्राप्त निर्देशानुसार संशोधित मांग प्रेषित की जा रही है जो निम्नवत् है :–

शर्त्त संख्या	शर्त्त	वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा मांग प्रेषित।
(ख)	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्य न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा याचिका संख्या WP (C) No. 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 3.44 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	इस शर्त्त के अनुसार प्रस्तावित 3.44 हे0 वनभूमि (वनों का घनत्व 0.1 से 0.3 तक प्रति हे0 हेतु एन0पी0भी0 प्रति हे0 6.26 लाख रू0) पर 6.26 लाख रू0 की दर से कुल 21,53,440.00 (इक्कीस लाख तिरपन हजार चार सौ चालीस रू0 मात्र) कैम्पा खाता में ऑन लाईन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से राशि जमा करते हुए पावती रसीद अनुपालन प्रतिवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है।
(च)	प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन के क्रम में पातित किए जाने वाले 11 वृक्षों के दस गुणा अर्थात् कुल 110 वृक्षों के रोपण (10 वर्षीय रख–रखाव सहित) की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।	इस दोनों शर्त्तो के अनुसार 610 बाँस गैबियन वृक्षारोपण (10 वर्षीय रख–रखाव सहित) हेतु वर्त्तमान मजदूरी दर पर तैयार प्राक्कलन एवं प्रति वर्ष मानव दिवस 15 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुये कुल 33,62,167.00 रू0 (तैंतीस लाख बासठ हजार एक सौ सरसठ रूपया मात्र।) कैम्पा खाता में ऑन लाईन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से राशि जमा करते हुए पावती रसीद अनुपालन प्रतिवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है।
(छ)	प्रस्तावित स्थल के समीप कम से कम 500 Indegenous Species की बाँस गैबियन वृक्षारोपण तथा उसके रख–रखाव की राशि परियोजना खर्च पर कराना अपेक्षित है।	

अतः कुल राशि 55,15,607.00 (पचपन लाख पन्द्राह हजार छः सौ सात रूपया मात्र।) कैम्पा खाता में ऑन लाईन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से राशि जमा करते हुए पावती रसीद अनुपालन प्रतिवेदन में संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही प्रथम चरण की स्वीकृति का शर्त्तवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें ताकि अनुपालन प्रतिवेदन सरकार को भेजा जा सकें।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

5/9/19

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल
पथतट रोपण बाँस गैबियन वृक्षारोपण

वृक्षारोपण स्थल का नामः–		गैबियन का आकार :–	6'6"x2'6"x2'6"
प्रखण्ड का नाम :–		पौधों की संख्या	400 पौधा / कि0मी0
प्रक्षेत्र का नाम	सिमरिया प्रक्षेत्र	कुल दूरी :–	1.5 KM
अक्षांश :–		गैबियन से गैबियन की दूरीः–	5M
देशांतर :–		गैबियन की कुल संख्या :–	610 गैबियन
अपयोजित रकबा	### हे0	मजदूरी दर :–	249.83 प्रति मानव दिवस

क्र. सं.	कार्य विवरणी	दर प्रति गैबियन				प्रस्तावित खर्च (रू0 में)	अभ्युक्ति
		मानव दिवस	सामग्री (रू0 में)	मजदूरी (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)		
1	2	3	4		5		8
क	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2019–20						
1	बाँस का खूँटा – 4 अदद (खूँटे की लंबाई 6'6") एवं जाफरी हेतु बाँस (कुल 4 बाँस /80.00 रू0 (प्रति बाँस) ढुलाई सहित	0.00	320.00	0.00	320.00	195200.00	
2	जाफरी का निर्माण एवं खूँटों में जाफरी लगाना	1.00	0.00	249.83	249.83	152396.30	
3	खूँटों की कोलतार / ब्लैक जापान / ब्लैक पेन्ट से रंगाई	0.30	6.00	74.95	80.95	49378.89	
4	जाफरी की हरे एवं लाल पेंट से रंगाई	0.20	80.00	49.97	129.97	79279.26	
5	गैबियन का खूँटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा लगाने हेतु 1'x1'x1'-6" आकार के 4 गड्ढों को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल	0.30	0.00	74.95	74.95	45718.89	
6	जाफरी सहित खूँटा लगाना–4 खूँटा – 20 खूँटा प्रति मानव दिवस (ढुलाई सहित)	0.20	15.00	49.97	64.97	39629.26	
7	जाफरी हेतु तार 100 ग्राम (67 /– रू0 प्रति किलोग्राम)	0.00	6.70	0.00	6.70	4087.00	
8	जाफरी हेतु काँटी 200 ग्राम (69 /– रू0 प्रति किलोग्राम)	0.00	13.80	0.00	13.80	8418.00	
9	मृदा कार्य पौधा लगाने हेतु 1.6"x1.6"x 1.6" आकार का गड्ढों बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर	0.10	0.00	24.98	24.98	15239.63	
	योग :–	2.10	441.50	524.64	966.14	589347.23	
ख	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) 2020–21 मजदूरी	287.305 प्रति मानव दिवस					
1	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं गोबर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (1cft बालू, cft कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	0.15	20.00	43.10	63.10	38488.36	
2	पौधों का मूल्य मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20% पौधों की प्रावधान के साथ सील पर ढुलाई के साथ	0.00	20.00	0.00	20.00	12200.00	
3	पौधा रोपण (डी0ए0पी0 50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	0.10	2.00	28.73	30.73	18745.57	
4	तीन कोड़नी–निकौनी (प्रत्येक 5 ग्राम, यूरिया, 5 ग्राम कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर	0.15	4.50	43.10	47.60	29033.36	
5	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	1.00	25.00	287.30	312.30	190505.75	
6	सुरक्षा	1.00	0.00	287.30	287.30	175255.75	
7	साईन बोर्ड की पेंटिंग एवं स्लोगन की लिखाई	0.00	20.00	0.00	20.00	12200.00	
	योग :–	2.40	91.50	689.53	781.03	476428.79	
ग	संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) 2021–22 मजदूरी	330.4 प्रति मानव दिवस					
1	तीन कोड़नी–निकौनी (प्रत्येक 5 ग्राम, यूरिया, 5 ग्राम कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर	0.15	4.50	49.56	54.06	32976.62	
2	पटवन	1.00	5.00	330.40	335.40	204594.11	
3	बाँस गैबियन की मरम्मति एवं सुरक्षा	1.00	60.00	330.40	390.40	238144.11	
	योग :–	2.15	69.50	710.36	779.86	475714.83	
घ	संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) 2022–23 मजदूरी	379.96 प्रति मानव दिवस					
1	तीन कोड़नी–निकौनी (प्रत्येक 5 ग्राम, यूरिया, 5 ग्राम कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	0.15	4.00	56.99	60.99	37206.36	
2	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	0.50	5.00	189.98	194.98	118937.86	
3	बाँस गैबियन की सुरक्षा	0.50	0.00	189.98	189.98	115887.86	
	योग :–	1.15	9.00	436.95	445.95	272032.08	

ङ	संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) 2023–24 मजदूरी	436.954 प्रति मानव दिवस					
1	तीन कोड़नी–निकौनी (प्रत्येक 5 ग्राम, यूरिया, 5 ग्राम कीटनाशक) पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर	0.15	4.00	65.54	69.54	42421.31	
2	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	0.50	5.00	218.48	223.48	136321.04	
3	बाँस गैबियन की सुरक्षा	0.50	0.00	218.48	218.48	133271.04	
	योग :–	1.15	9.00	502.50	511.50	312013.39	
च	संपोषण कार्य (छठा वर्ष) 2024–25 मजदूरी दर	502.497 प्रति मानव दिवस					
1	बाँस गैबियन की सुरक्षा	365.00	0.00	183411.54	183411.54	183411.54	
	योग :–	365.00	0.00	183411.54	183411.54	183411.54	
छ	संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) 2025–26 मजदूरी	577.872 प्रति मानव दिवस					
1	बाँस गैबियन की सुरक्षा	365.00	0.00	210923.27	210923.27	210923.27	
	योग :–	365.00	0.00	210923.27	210923.27	210923.27	
ज	संपोषण कार्य (अष्ठम वर्ष) 2026–27 मजदूरी	664.553 प्रति मानव दिवस					
1	बाँस गैबियन की सुरक्षा	365.00	0.00	242561.76	242561.76	242561.76	
	योग :–	365.00	0.00	242561.76	242561.76	242561.76	
ज	संपोषण कार्य (नवम वर्ष) 2027–28 मजदूरी	764.236 प्रति मानव दिवस					
1	बाँस गैबियन की सुरक्षा	365.00	0.00	278946.02	278946.02	278946.02	
	योग :–	365.00	0.00	278946.02	278946.02	278946.02	
ञ	संपोषण कार्य (दशम वर्ष) 2028–29 मजदूरी	878.871 प्रति मानव दिवस					
1	बाँस गैबियन की सुरक्षा	365.00	0.00	320787.93	320787.93	320787.93	
	योग :–	365.00	0.00	320787.93	320787.93	320787.93	
					Or Say :-	3362166.84	

सारांश

कार्य वर्ष	प्राक्कलित राशि (सामग्री)	प्राक्कलित राशि (मजदूरी)	कुल प्राक्कलित राशि
अग्रिम कार्य (प्रथम	269,315.00	320,032.23	589347.23
समापन कार्य (द्वितीय	55,815.00	420,613.79	476428.79
सम्पोषण कार्य (तृतीय	42,395.00	433,319.83	475714.83
सम्पोषण कार्य (चतुर्थ	5,490.00	266,542.08	272032.08
सम्पोषण कार्य (पंचम	5,490.00	306,523.39	312013.39
सम्पोषण कार्य (छठा	-	183411.54	183411.54
सम्पोषण कार्य (सप्तम	-	210,923.27	210923.27
सम्पोषण कार्य (अष्ठम	-	242,561.76	242561.76
सम्पोषण कार्य (नवम	-	278,946.02	278946.02
सम्पोषण कार्य (दशम	-	320,787.93	320787.93
	378505.00	2983661.84	3362166.84
		Or say	3,362,167.00
			तैंतीस लाख बासठ हजार एक सौ सरसठ रूपया मात्र।

यह प्राक्कलन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची के कार्यालय आदेश संख्या 31 दिनांक 19.05.2015 द्वारा स्वीकृत कार्य दर पर आधारित है। साथ ही वर्त्तमान मजदूरी दर पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष मजदूरी दर में वृद्धि करते हुये प्राक्कलन तैयार किया गया है।

समर्पित

[signature]

वन क्षेत्र पदाधिकारी
सिमरिया प्रक्षेत्र।

प्रतिहस्ताक्षरित

[signature]

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।